Dy. No. 763
6-5-2000

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्या: एग्र. ए-3(2)/95 तारीख: शिमला-2, 5.4. 2000.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में जमादार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग जमादार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 है ।
		(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा

अभय शुक्ला
आयुक्त एवं सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: एग्र. ए-3(2)/95 दिनांक: शिमला-2, 5.4.2000
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. निदेशक (कृषि), हिमाचल प्रदेश, शिमला-5.
4. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस विभाग को उपलब्ध करवाये ।
5. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी), हि0प्र0सचिवालय, शिमला-2.
6. उप-विधि परामर्शी, हि0प्र0, शिमला-2.
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा) विधि विभाग, हि0प्र0सचिवालय, शिमला-2.
8. 150 अतिरिक्त प्रतियां ।

विशेष सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध "क"

कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में जमादार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम:	जमादार
2. पदों की संख्या:	20 (बीस)
3. वर्गीकरण:	वर्ग- IV
4. वेतनमान: (विस्तृत रूप में वर्णित करें)	रू0 2720-100-3220-110-3660-120-4260
5. चयन पद अथवा अचयन पद:	अचयन
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु:	लागू नहीं ।
7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें :	(क) अनिवार्य: लागू नहीं । (ख) वान्छनीय अर्हतायें: हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	आयु: लागू नहीं । शैक्षिक अर्हतायें: लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि:	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें.
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	शत-प्रतिशत (प्रोन्नति द्वारा)

11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।	चपड़ासियों में से, जिनका ग्रेड में 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल अथवा (31.3.98) तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को शामिल करके उक्त संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.03.1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31.3.98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ

सैकेन्डरीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

§2§ इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31.3.1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31.3.98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना : जैसी कि सरकार द्वारा समय-2 पर गठित की जाये ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा: जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा: लागू नहीं ।

15. आरक्षण : उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-2 पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के, अधीन होगी ।

16. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

आर.एल.

(Authoritative English Text of H.P.Government Notification No. Agr.A(3)-2/95 dated 5.4.2000 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Govt. of Himachal Pradesh
Department of Agriculture

...

No. Agr.A(3)-2/95 Dated Shimla-171002, the 5.4.2000

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Jamadar, Class-IV(Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, H.P. as per Annexure "A" attached to this Notification, namely:-

Short title and commencement:

1, (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department, Jamadar, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000.

(2) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Avay Shukla
Commr.-cum-Secretary(Agr.)to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Agr.A(3)-2/95 Dated Shimla-171002, the 5.4.2000
Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.
2. All the Heads of the Departments in H.P.
3. The Director of Agriculture, H.P.Shimla-171005.
4. The Controller, H.P.Printing & Stationery Department, Shimla-171005 for publication in the Rajpatra(Extra Ordinary). A copy of the Rajpatra may kindly be supplied to this Department.
5. The Dy.Legal Remembrancer to the Govt. of H.P.Shimla-171002.
6. 150 spare copies.
7. A.L.D.(H) Law Department, H.P.Sectt., Shimla-171002.

Special Secretary(Agr.)to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the post of Jamadar, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh.

1. Name of the post :	Jamadar
2. Number of posts :	20 (Twenty)
3. Classification :	Class-IV (Non-Gazetted)
4. Scale of pay : (Be given in expanded notation)	Rs. 2720-100-3220-110-3660-120-4260
5. Whether selection post or non selection post.	Non-selection
6. Age for direct recruitment	Not applicable
7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.	**Essential** Not applicable **Desirable Qualification** Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Age : Not applicable Educational Qualifications : Not applicable
9. Period of probation if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11. In case of recruitment by promotion, deputation transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Peons with 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.98) service, if any, in the grade.

Contd...P.2/-

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post upto 31.03.1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that:-

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis upto 31.03.1998) followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder:

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post upto 31.03.1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion against such posts had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules;

Provided that inter se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered upto 31.03.1998 shall as referred to above shall remain unchanged.

Contd...P.3/-

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14. Essential requirement for direct recruitment:	Not applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable.
16. Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/other Backward classes/other categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time.
17. Power to relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

...